प्रश्न सं. [क्र. 644]

परिशिष्ट-1

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Implementation Unit

14, सम्पत हिल्स, सहारा सिटी के सामने, इन्दौर बायपास, बिचौली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) 452016

14, Sampat Hills, Opp. Sahara City, Indore Bypass, Bicholi Mardana, Indore (M.P.) 452 016

दूरभाष/Phone : 0731-4975994 e-mail : indore@nhai.org, indorenhai@gmail.com

भा.रा.रा.प्रा. / परि.का.इ. / इन्दौर / पी.क्यू. / 2019 / 499 दिनांक 14.02.2019

प्रति,

मुख्य अभियन्ता (रा.रा.परि.),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
लोक निमाण विभाग
"निर्माण भवन", प्लाट नं. 27–28,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विषय : भा.रा.रा.प्रा. की इन्दौर–अहमदाबाद फोरलेन सड़क में अनियमितता के संबंध में। विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 644 (सदन में उत्तर देने का दिनांक 21.02.2019) द्वारा श्री यशपाल सिंह सिसोदिया।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

स.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या नवनिर्मित फोरलेन इंदौर–अहमदाबाद पर घटाबिल्लौद के समीप मेठवाडा में, लेबड – नयागावं फोरलेन के वाहनों को कवर करने के लिए अवैध रूप से टोलनाका निर्माण कंपनी ने लगाया है जहां लेबड़ – नयागांव फोरलेन पर आने वाले वाहन मालिक (कार, जीप) से मात्र 27 किमी के 120/– रू की अवैध वसूली की जा रही है जबकि टोल अनुबंध अनुसार इंदौर के समीप नवदा से 60किमी दूर धार के समीप टोल लगना था, इस अवैध टोल द्वारा अवैध वसूल के क्या कारण है	इन्दौर–अहमदाबाद मार्ग पर घाटाबिल्लौद के समीप मेठवाडा गांव में सड़क निर्माता कंपनी द्वारा अनुबंधानुसार किमी 34.450 पर ही लगाया गया है एवं टोल वसूली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ.(अ) 2168 दिनांक 16.07.2013 के अनुसार ही की जा रही है एवं उक्त स्थान पर किमी 9.50 से किमी 87.00 में सें 76.70 किमी दूरी का टोल लिया जा रहा है। अतः किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जा रही है।
(ख)	क्या इंदौर–अहमदाबाद फोरलेन पर राजगढ़ से दत्तीगांव, जुनापानी, खरमोर रोड सहित घाट की लगभग 20 किमी की सड़क का निर्माण कम्पनी द्वारा निर्माण ही नहीं कराया गया है यदि हां तो क्या अधूरे सड़क निर्माण के बावजूद अनुबंध का पालन नहीं करते हुए टोल वसूला जा सकता है। यदि नही तो टोल वसूलने के क्या कारण हैं।	इन्दौर–अहमदाबाद 4 लेन मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 155 किमी है। सड़क निर्माता कम्पनी द्वारा 16.09 किमी वन/सरदारपुर अभ्यारण क्षेत्र की अनुमति देरी से मिलने के कारण कुल 138.11 किमी लम्बाई पर 4 लेन सड़क निर्माण किया गया है। अनुबंध की धारा *14.3.2* के अनुसार 75 प्रतिशत लम्बाई पर 4 लेन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त PCOD

		(टोल वसूली) जारी की जा सकती है तदानुसार कंसेसिनायर के अनुरोध पर स्वतंत्र अभियंता की अनुशंसा एवं क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति के पश्चात् स्वतंत्र अभियंता द्वारा टोल वसूली शुरू करने की अनुमति दी गई। टोल वसूली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ.(अ) 2168 दिनांक 16.07.2013 के अनुसार ही की जा रही है।
(ग)	क्या उक्त मार्ग पर मेठवाडा टोल से पहले मेठवाडा गांव में जाने के रास्ते को भी टोल कम्पनी द्वारा बंद कर ग्रामीणों से प्रतिदिन विवाद किया जा रहा है क्या नियमानुसार टोल के पहले किसी भी गांव के रास्ते को बंद किया जा सकता है। यदि हां तो नियम बतायें। मेठवाडा टोल से संबंधित कितनी शिकायतें विभाग एवं थाने में दर्ज है।	नियमानुसार गांव के रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन शुल्क बचाने के उद्देश्य से यदि कोई वाहन गांव से होकर जाकर पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करता है तो चेक करने हेतु चेक वेरियर लगाया जा सकता है। मेठवाडा टोल से संबंधित कुल दो शिकायतें टोल राशि को कम करने हेतु इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी, जिनकों कम करने का अधिकार इस कार्यालय को नहीं है एवं थाने में दर्ज शिकायत की जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

भवदीय,

(रविन्द्र गुप्ता)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

प्रतिलिपि :

- क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।